UPEW010082952025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी०ए०)एक्ट, इटावा।

पीठासीन अधिकारी–संजय कुमार–IV ,उच्चतर न्यायिक सेवा।

जे . ओ–कोड यू०पी० 6462

अंतिम रिपोर्ट संख्या –1400/2025

गंगा प्रसाद बनाम सुशील कुमार आदि।

अ०सं०–232/2025
धारा 115(2),352,324(5),
309(4) बी.एन.एस. व धारा
3(1)(R)(S),धारा 3(2)
(VA)एससी/एसटी(पी०ए०)एक्ट।
थाना इकदिल,जिला इटावा।

दिनांक 07.03.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 14क/1 लगायत 14क/12 (अभ्याप्ति याचिका) तथा अंतिम आख्या पर सुना तथा पत्रावली का विस्तारपूर्वक परिशीलन किया गया।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि पूर्व में प्रार्थी/वादी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 232/2025, धारा–115(2), 352, 324(5), 309(4) बी.एन.एस. व धारा 3(1)(R)(S), धारा 3(2)(VA) एससी/एसटी (पी०ए०) एक्ट थाना इकदिल, जिला इटावा में पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचनाधिकारी द्वारा वादी मुकदमा द्वारा पंजीकृत कराये गये उपरोक्त अभियोग में नामित प्रमोद कुमार व ललित कुमार द्वारा वादी मुकदमा के साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित न करने की साक्ष्य प्राप्त होने पर नामजदगी गलत पाते हुए तथा शेष नामजद आरोपियों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित होना उल्लिखित करते हुए उक्त अभियोग में अंतिम आख्या संख्या 50/205 दिनांकित 30.09.2025 को प्रेषित की गयी थी। जिससे क्षुब्ध होकर वादी द्वारा उपरोक्त अभ्याप्ति याचिका प्रस्तुत

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.03.07 18:39:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की गयी।

प्रार्थी/वादी द्वारा अभ्याप्ति याचिका 14 क/1 लगायत 14 क/12 में संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी गंगाप्रसाद पुत्र तुलसीराम अनुसूचित जाति उपजाति चमार का व्यक्ति है तथा पुलिस विभाग से उपनिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त है और इस समय उसकी उम्र लगभग 74 वर्ष की है तथा पैरों में फ्रेक्चर है और प्लेटें पड़ी हुयी हैं, जो चलने–फिरने में दिक्कत होती है। विपक्षीगण सवर्ण जाति के व्यक्ति हैं। प्रार्थी ने अपने नौकरी के कार्यकाल में जमीन रामपुर नावली इकदिल में खाता सख्या–00026 व गाटा संख्या 69 व रकबा 0.3060 हे० है जिसका वह तनहा मालिक है और चार बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम रामपुर नावली में गाटा संख्या 64 व 67 है जिसकी वह तनहा मालकिन है। उसकी पुत्री पूजारानी जो दौलतपुर लुहिया में व्याही है और उसके पति का नाम सुशील कुमार है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण प्रार्थी ने उपरोक्त दोनों नम्बरानों की जमीन कुछ दिनों के लिए जोतने–बोने के लिए दे दी थी और क्योंकि प्रार्थी सेवानिवृत्त होने के बाद अपना मकान आगरा शहर में बनाकर पत्नी व बच्चों के साथ जीवन–यापन कर रहा है। घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.05.2025 को समय करीब 01:00 बजे दिन की बात है। उसको यह पता चला कि उसकी व उसकी पत्नी की जमीन सुशील कुमार ने बेचने के लिए किसी से ग्यारह लाख रूपये ले लिये हैं, जब वह व उसकी पत्नी व बच्चे खेतों पर गये तो सुशील कुमार व उसकी पत्नी पूजारानी भला–बुरा कहने लगी और गाली–गलौज करने लगी और उसी समय पुलिस को फोन किया और पुलिस उसे चौकी पर ले गयी। पुलिस चौकी पर कानि० ललित कुमार व प्रमोद कुमार सिंह जो कि सवर्ण जाति हैं, इन लोगों ने जाति पूछी तो उसने कहा कि वह अनुसूचित जाति (चमार) जाति का व्यक्ति है और उपनिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त है तथा इतनी सुनते ही ललित कुमार एवं प्रमोद कुमार जातिसूचक गालियां देने लगे और कहने लगे कि साले मायावती की सरकार नहीं है और यह सरकार सवर्णों की है और जातिसूचक गालियां देते हुये बुरी तरह अपमानित किया उसने इसका विरोध किया और कहा कि हम भी पुलिस में रहे है लेकिन ऐसा कभी नहीं किया इसी बात को लेकर सुशील कुमार व पूजारानी, प्रमोद कुमार, ने ललित से साठ–गांठ करके जबरजस्ती कमरे में ले गयी और वहीं पर दोनों कानि० ललित कुमार व प्रमोद कुमार ने उसके साथ जातिसूचक गालियां देते हुये बुरी तरह मारपीट की। विपक्षीगण द्वारा मारपीट करने से शरीर पर काफी प्राणघातक चोटें आयी और प्रार्थी की पत्नी रामकटोरी ने जब कहा कि उसके पति को छोड़ दो तो उसकी पत्नी रामकटोरी की बुरी तरह मारपीट की तथा शरीर में जाहिरा चोटें है और सिर में भी घूसों से व डन्डों से मारपीट की। उस समय उसके

साथ मौके पर उसका पुत्र हरेन्द्र सिंह वीडियो बनाने लगा तो उसे भी बुरी तरह मारापीटा और वहां पर मनोज कुमार व मनीष व लवलेश थे उनको भी बन्द कर दिया और पूजारानी एवं सुशील कुमार के कहने पर दोनों कानि० प्रमोद कुमार व ललित कुमार ने बुरी तरह से मारपीट की। जब विपक्षीगण ने देखा कि इनकी हालत चिन्ताजनक है तब वह व उसकी पत्नी को मजरूबी चिट्ठी बनाकर दिनांक 04.05.2025 को जिला अस्पताल इटावा एम०एल०सी० नं0–2855 समय करीब 2.15 पी. एम. पर मेडीकल कानि० 498 ललित कुमार द्वारा डाक्टरी परीक्षण कराया गया तथा इसी क्रम में एम०एल०सी० न०–2856 समय करीब 02:35 पी. एम. पर आरक्षी 1064 सोमलता द्वारा कराया गया जिसमें रामकटोरी के सिर व कन्धे व हाथ व कलाई में काफी गम्भीर प्रकृत्ति की चोट है और जब पुलिस ने देखा कि कहीं उसके खिलाफ कार्यवाही न हो जाये। तब उसके खिलाफ अ.सं.–124/2025 धारा–109, आदि बी०एन०एस० के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत वह व उसके साथ के लोगों के खिलाफ किया गया तथा वह अनुसूचित जाति चमार का व्यक्ति है तथा काफी बुजुर्ग है तथा पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त है। वह दिनांक 04.05.2025 को जेल में निरूद्ध रहा और दिनांक 02.06.2025 को जेल से जमानत पर छूटने के बाद अपने घर आगरा चला गया और दो दिनों तक उसकी तबियत खराब होने की वजह से प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र नहीं दे पाया और दिनांक 05.06.2025 को प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थाना इकदिल गया तो दोनों कानि० से भला बुरा कहा और गालियां दी और कहा कि साले ऐसा गम्भीर मुकदमा लगा देगे कि जेल से भी नहीं छूट पायेगा। वह तब दिनांक 06.06.2025 को इटावा आकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, इटावा को थाना इकदिल पर प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। उपरोक्त दोनों विपक्षीगणों ने उसके मोबाइल व रूपया भी छीन लिये थे और गाड़ी बलेनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और नई स्टपनी थी उसे भी जबरजस्ती छीन लिये और बेवजह में उसकी जमीन पर उसकी पुत्री पूजारानी व सुशील कुमार का साथ देकर जमीन हडपवाने में उनका साथ दे रहे है। ऐसी स्थिति में थाना इकदिल की पुलिस को आदेशित किया जाये कि उक्त प्रकरण की प्राथमिकी रिपोर्ट पंजीकृत करवायी जाकर विवेचना करवाये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायाहित आवश्यक है क्योंकि विपक्षीगणों ने अपने पद का गलत दुरूपयोग किया है तथा उसकी उपरोक्त गाटा संख्या की जमीन को एक साजिश के तहत दोनों विपक्षीगण पूजारानी व सुशील से आर्थिक लाभ लेकर सारा कृत्य किया है। उसके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को दिये गये प्रार्थना पत्र में विपक्षीगणों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुयी तब मजबूर होकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपना प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र

प्रस्तुत किया तथा उसके साथ वादी व उसकी पत्नी रामकटोरी के चोटें जो आयी थी उनका डाक्टरी परीक्षण दाखिल किया था तथा योग्य न्यायालय में थाना की रिपोर्ट आहूत करने के बाद दिनांक 23.07.2025 को प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित किया और दौरान विवेचना पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। जो प्रार्थना पत्र दण्ड प्रकीर्ण संख्या–295/2025 जो दिनांक 06.06.2025 को दिया था। उसमें मात्र विपक्षी प्रमोद कुमार सिंह चंदेल व कानि0 498 ललित कुमार को मुल्जिम बनाया था। जबकि सुशील व पूजा को कोई मुल्जिम नहीं बनाया लेकिन थाना इकदिल की पुलिस ने सुशील कुमार व पूजारानी को अप०संख्या–232/2025 में मुल्जिम बना दिया क्योंकि थाना इकदिल की पुलिस ने उन दोनों कांस्टेबल को बचाने के लिए मुल्जिम बनाया जो कि गलत एवं निराधार है जो कि सुशील एवं पूजारानी का अलग मुकदमा पंजीकृत हुआ और इस मुकदमा से कोई सरोकार नहीं था। उपरोक्त मुकदमें में जो यह कहकर फाइनल रिपोर्ट लगाई है कि एक घटना के दो–दो मुकदमा नहीं हो सकते जबकि इसी क्रम में अप०संख्या–188/2025 का वादी गंगाप्रसाद पुत्र तुलसीराम है और इसी घटना से सम्बन्धित है। तथा अप० सख्या–125/2025 जो पूजारानी वादिनी है तथा गंगाप्रसाद आदि के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराये है और अप०संख्या–232/2025 का वादी गंगाप्रसाद है और मूल मुकदमा से सम्बन्धित है। यह नहीं कहा जा सकता है कि एक घटना की दो–दो प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। यह कहना बिल्कुल गलत है। जिसमें काफी विधि व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में उद्धत्त किया है। जो मुकदमा उसने लिखाया है उसमे मात्र सम्पूर्ण केस डायरी में दूसरे गवाहों का बयान लिखकर और यह कहते हुये फाइनल रिपोर्ट लगाई है कि यह मौके के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे जबकि पूजारानी व पुलिस की दबाव में विवेचनाधिकारी ने बयान अंकित किये है जो कि किसी भी हालत में पोषणीय नहीं है। जबकि प्रश्नगत जमीन वग व उसकी पत्नी के नाम है और रजिस्टर्ड ऑनर है तथा कोई भी जमीन आज दिन तक गंगाप्रसाद व उसकी पत्नी रामकटोरी ने न तो कोई वसीयत की और न ही कोई एग्रीमेन्ट किया और पुलिस ने कांस्टेबल प्रमोद कुमार व ललित कुमार को बचाने के लिए पूजारानी व सुशील को एफ०आई०आर० में नामित करके और बयानों को तोड़ मरोड़ कर लिखा है जो गलत एवं निराधार है। गंगाप्रसाद का मेडिकल दिनांक 04.05.2025 को समय 02:15 बजे पुलिस अभिरक्षा में करवाया गया और उसको काफी प्राणघातक चोटें थी और डाक्टर ने पुलिस के दबाव में मात्र पाँच चोटें अंकित की है तथा वादी की पत्नी रामकटोरी का मेडीकल परीक्षण पुलिस अभिरक्षा में दिनांक 04.05.2025 को जिला अस्पताल इटावा में हुआ उसको भी सिर में प्राणघातक चोट थी और शरीर में काफी

चोटें थी लेकिन मात्र उसको सात चोटें डाक्टर ने अंकित की हैं तथा वादी व वादी की पत्नी जेल से रिहा होने के बाद बीमार चल रहे थे और उसकी बुरी तरह मारपीट की थी जिसका मेडीकल रिपोर्ट पत्रावली में कागज संख्या–8क/5 है जो एस०एन० मेडीकल कालेज आगरा की संलग्न है और इस चोटों से जान जा सकती थी और रामकटोरी का इलाज जो एस०एन० मेडीकल कालेज आगरा में चला उसके सारे प्रपत्र अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में पत्रावली में संलग्न है लेकिन विवेचनाधिकारी ने अपने पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए तोड़ मरोड़कर बयान लिखे हैं लेकिन फाइनल रिपोर्ट लगाने के पूर्व न तो वादी व वादी की पत्नी रामकटोरी की मेडीकल रिपोर्ट का कोई अवलोकन किया और न ही इस सम्बन्ध में कोई हवाला दिया कि इन मजरूबों को पुलिस अभिरक्षा में कहां से चोट आयी है जबकि वादी व वादी की पत्नी व उसके बेटे व रिश्तेदारों को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर धारा–109 बी०एन०एस० के आरोपों में चालान किया जिस समय प्रमोद कुमार व ललित कुमार वह व उसके पुत्र व रिश्तेदार व पत्नी को बुरी तरह से मारपीट कर रहे थे उस समय प्रार्थी के पुत्र हरेन्द्र ने मोबाइल से वीडियों बनाने लगा और उसी समय सभी के मोबाइल लेकर अपने कब्जे में ले लिया और मोबाइल का कोड नम्बर पूछ कर डेटा सारा डिलीट कर दिया तथा मोबाइल को बुरी तरह तोड़ डाले क्योंकि सत्यता कहीं न आ जाये और हम लोग कहीं फंस न जाये। लेकिन विवेचनाधिकारी ने सारे तथ्यों की अनदेखी करते हुये और कानि० ललित कुमार व प्रमोद कुमार को बचाने के लिए सारे बयान तोड मरोड़ कर लिखें है। जो किसी भी सूरत में पोषणीय नहीं है तथा यह भी कहा है कि विवेचक द्वारा लगायी गयी फाइनल रिपोर्ट दिनाक 30.09.2025 अन्तिम रिपोर्ट संख्या 50/2025 की निरस्त करके डायरेक्ट प्रसंज्ञान लिये जाने का पर्याप्त आधार है। उपरोक्त मुकदमे में विवेचनाधिकारी ने जहां की घटना उसने बताई है वहां का नक्शा न बनाकर दूसरी जगह का नक्शा बनाया है तथा पुलिस चौकी की जहां पर वह व उसकी पत्नी की मारपीट की है व जातिसूचक गालियां दी है वहां का कोई नक्शा नहीं दर्शाया है। जिससे स्पष्ट है कि विवेचनाधिकारी ने अनदेखी की है। उपरोक्त मुकदमें में सी०डी० के पर्चा नं0–3 में वादी गंगाप्रसाद पुत्र तुलसीराम का बयान अंकित किया गया और उससे प्रश्न उत्तर करके भी पूछे गये तो विवेचनाधिकारी ने तोड मरोड़कर बयान लिखे है और जो बयान लिखे है उनसे भी स्पष्ट है कि दोनों अभियुक्तगणों के ऊपर प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। और उसी दिन उसकी पत्नी रामकटोरी का बयान सी०डी० के पर्चा नं0–3 में अंकित है और उसमें भी स्पष्ट है कि दोनों विपक्षीगणों ने बुरी तरह मारापीटा और जातिसूचक गालियां दी और उसी क्रम में उसी दिन हरेन्द्र पुत्र गंगाप्रसाद का बयान हुआ उसने भी घटना का समर्थन किया तथा और

इन साक्षियों के आधार पर भी उपरोक्त अपराध बनता है। लेकिन विवेचनाधिकारी ने जानबूझकर अनदेखी की है। और जानबूझकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। जो कि डायरेक्ट प्रसंज्ञान लेने का पर्याप्त आधार है। उपरोक्त मुकदमें में विवेचनाधिकारी ने जो बयान केस डायरी के पर्चा न०–8 में पूजारानी व सुशील कुमार का बयान लिया यह दोनों पुलिस से मिले हुये है और जो बयान मनोज कुमार उर्फ मंजू पुत्र प्रेमनरायन व सुधीर उर्फ कल्लू, चन्द्रशेखर पुत्र सुभाष, नन्दकिशोर पुत्र राजाराम, शिवप्रकाश पुत्र सुरेन्द्र सिंह, लीलावती व सुधीर पाण्डे, को न तो साक्षी बनाया और न ही इनसे कोई सरोकार है और यह पुलिस के एवं अभियुक्तगणों के मेली है। इसलिए उनका बयान ललित कुमार व प्रमोद कुमार को बचाने के लिए गलत अंकित किया गया है। उपरोक्त मुकदमें में विवेचक द्वारा घोर लापरवाही करने के बावजूद जो पत्रावली पर साक्ष्य उपलब्ध है और उस साक्ष्य से भी प्रथम दृष्टया अपराध धारा–115 (2), 352, 324(5), 309(4) बी०एन०एस० एवं 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(va) के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिये जाने का पर्याप्त आधार है। अगर पुनः योग्य न्यायालय ने पुनः जांच के आदेश दिये तो पुलिस वाले प्रार्थी को न तो सुनते है और न ही कोई बयान लेते है और मनमाने तरीके से तोड़ मरोड़ कर पुलिस वालों को बचाने के लिए जानबूझकर फाइनल रिपोर्ट लगाते है तथा यह भी कहा है कि अपराध विपक्षी प्रमोद कुमार सिंह व हेड कानि० 133 व 498 ललित कुमार गुर्जर हाल तैनाती थाना इकदिल के खिलाफ उपरोक्त अपराध साबित होता है इसलिए इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रार्थना की गयी है कि उपरोक्त एफ०आर० नं0–50/2025 दिनांक 30.09.2025 की फाइनल रिपोर्ट निरस्त की जाये और विपक्षी कानि० प्रमोद कुमार व ललित कुमार कानि० को धारा–115(2), 352, 324(5), 309(4) बी०एन०एस० एवं 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में तलब करके स्टेट केस के रूप में चलाये जाने का आदेश पारित किया जाये।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का विस्तारपूर्वक परिशीलन किया। चूंकि प्रार्थी/वादी ने यह कहा है कि विवेचना अधिकारी ने जांच में गम्भीर लापरवाही की है तथा विवेचनाधिकारी ने अपने पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए तोड़–मरोड़कर बयान लिखे हैं तथा विवेचक ने सही विवेचना न करके मनमाने तरीके से सारे तथ्यों की अनदेखी करते हुए जानबूझकर अन्तिम आख्या प्रेषित कर दी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी को घटना के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है जिसे वह अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित कर सकता है। ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं निर्णय विधि **तुलाराम प्रति– किशोर सिंह**

ए.आई.आर.1977 सुप्रीम कोर्ट एवं गंगाराम –प्रति– स्टेट आफ यू.पी. 2005(33)ए.सी.सी.860 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दी गयी व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये वादी द्वारा प्रस्तुत अभ्यापति याचिका परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है तथा अंतिम आख्या संख्या 50/2025 (न्यायालय का नम्बर अंतिम रिपोर्ट संख्या –1400/2025) निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अंतिम आख्या संख्या 50/2025 (न्यायालय का नम्बर अंतिम रिपोर्ट संख्या –1400/2025) निरस्त की जाती है। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अभ्याप्ति याचिका 14 क/1 लगायत 14 क/12 को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 03.04.2026 को पेश हो।

दि.07.03.2026

(संजय कुमार–IV)
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी०ए०)एक्ट,
इटावा।
जे. ओ–कोड यू०पी० 6462